

ग्रा0पं0- लौहरपुर

वि0ख0- ज्ञानपुर

जनपद- मदी

ग्राम पंचायत में दिनांक 4/8/2023 को ग्राम पंचायत की एक बैठक आहूत किया गया जिसमें निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया-


1- ग्राम पंचायत की एक बैठक ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति का गठन किया गया और उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में चयनित किया गया है-

क्रम	सदस्य का नाम	वर्गीकरण (महिला / अनु0जा0 / जनजाति / पिछड़ा वर्ग / गरीबी रेखा के नीचे / भूमिहीन)	पदनाम (अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष / सदस्य)	सम्पर्क सूत्र मोबाईल न0
1	विमला देवी	OBC 51	अध्यक्ष	8563058198
2	राधिका देवी पाण्डेय	Gen 35	सचिव	9555321424
3	शिवमणि	SC 42	कोषाध्यक्ष	7398518503
4	रामजी	OBC 41	सामान्य सदस्य	7668657055
5	धनश्याम	OBC 52	सामान्य सदस्य	9935502583
6	मकसुफ आलम	OBC 28	सामान्य सदस्य	9621078689
7	शंकर विद्य	OBC 34	सामान्य सदस्य	8299201948
8	मेकलाल पाल	OBC 56	सामान्य सदस्य	8879473293
9	शैलेश पाल	OBC 38	सामान्य सदस्य	9702997814
10	फूलकुमारी	'' 40	सामान्य सदस्य	
11	शीला	'' 33	सामान्य सदस्य	
12	डाशी	'' 40	सामान्य सदस्य	
13	सुमन	'' 38	सामान्य सदस्य	
14	सुशीला	'' 30	सामान्य सदस्य	
15	सौरी	'' 29	सामान्य सदस्य	

2- पेयजल एवं स्वच्छता योजनाओं के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग / पंचायती राज विभाग / राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन / राज्य परियोजना प्रबन्धन ईकाई, जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति एवं जिला प्रबन्धन ईकाई स्तर पर समय-समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अपना कार्य करने की अनुमति दी गयी है।

3- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम हेतु धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी गई ताकि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को ग्राम पंचायत में क्रियान्वयित कर सकें।

4- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अनुमति दी गई कि वह जलापूर्ति एवं स्वच्छता सम्बन्धित योजनाओं / सेवाओं हेतु रख-रखाव / उपयोग राशि निर्धारित करें एवं भुगतान प्राप्त करें और भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में उचित कार्यवाही करें।




विमला देवी

- 5- कार्यक्रम की धनराशि के प्रबन्धन हेतु ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को बैंक में खाता खोलने एवं उसके संचालन की अनुमति प्रदान की गई।
- 6- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को योजना की रूपरेखा बनाने एवं उसे क्रियान्वयित करने के स्तर पर नियमानुसार एवं आवश्यकतानुसार भुगतान करने एवं "Sign Off" हेतु अधिकृत किया गया। ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के अनुसार जलापूर्ति एवं स्वच्छता की योजनाओं को क्रियान्वित करने हेतु तकनीकी विकल्पों पर निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया गया।
- 7- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता से सम्बन्धित सेवाओं हेतु उपयुक्त अधिकारी एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के साथ समझौता ज्ञापन (MOU) एवं स्वीकृत पत्र (CONSENT) एवं अनुबन्ध पत्र (CONTRACT) हस्ताक्षरित करें।
- 8- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह नियमों अनुसार निर्णय सामग्री का उपार्जन कर उपलब्ध कराये तथा उस सामग्री की गुणवत्ता को सुनिश्चित करें।
- 9- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उसकी समस्त गतिविधियों को करने में पूर्ण सहयोग एवं अनुकूल वातावरण प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- 10- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिये भी अधिकृत किया गया। तथा जलापूर्ति एवं स्वच्छता की सेवाओं के प्रबन्ध हेतु तैयार की गयी प्रणाली एवं सम्पत्ति क निरिक्षण में सहयोग प्रदान करें।
- 11- ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति को अधिकृत किया गया कि वह बहु-ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता समिति तथा बहु-ग्रामीण योजनाओं से सम्बन्धित अन्तर ग्राम सुविधाओं (यदि लागू हो तो) सामान्य सुविधाओं के संचालन प्रबन्धन एवं अधिकांश जलापूर्ति हेतु संयोजन करें।

**ग्राम पंचायत पेयजल एवं स्वच्छता समिति के उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर:-**

क्रम	सदस्य का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर या नि० अगूठों
1	विमला देवी	अध्यक्ष	विमला देवी
2	राधेवन्द जी पाण्डेय	सचिव	राधेवन्द
3	शेषमणि	कोषाध्यक्ष	शेषमणि
4	राम जी	सामान्य सदस्य	रामजी
5	धनश्याम	सामान्य सदस्य	धनश्याम
6	मकसूद आलम	सामान्य सदस्य	मकसूद
7	शंकर बिन्द	सामान्य सदस्य	शंकर बिन्द
8	भैरालाल पाल	सामान्य सदस्य	भैरालाल पाल
9	रमेश पाल	सामान्य सदस्य	रमेश पाल
10	शूल कुमारी	सामान्य सदस्य	शूल कुमारी
11	शीला	सामान्य सदस्य	शीला
12	डंगरी	सामान्य सदस्य	डुमन डुंगरी
13	सुमन	सामान्य सदस्य	सुमन
14	सुशीला	सामान्य सदस्य	सुशीला
15	सौनी	सामान्य सदस्य	सौनी



विमला देवी